वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) खादी ग्राम उद्योग आयोग खादी क्षेत्र में कपड़े के निर्माण और उसके विपणन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित कर रहा है:—

(1) उपकरण और औजार जैसेः चरखा, करघे आदि के लिए मूल व्यय के रूप में सहायता देना।

(2) उत्पादन व्यय की पूर्ति के लिए कार्यशील पूंजी देना।

(3) कच्चे माल की खरीद जिसमें कच्चे माल की प्रोसेसिंग और उसका स्टाक करना भी शामिल है के लिए कार्यशील पूंजी देना।

(4) अपने उत्पादों के विपणन के लिए विपणन केन्द्र, भवन और भंडार आदि खुलवाने के लिए सहायता देना।

(5) पूरे वर्ष सामान्य रिबेट के रूप में रिबेट उपलब्ध कराई जाती है और खुदरा बिक्री पर विशेष छूट दी जाती है।

(6) बैंक से कार्यशील पूंजी लेने के लिए संस्थानों द्वारा बैंक ऋण पर लगाये गये ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है।

हथकरघा क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन और विपणन में संवर्धन के लिए निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं:—

1. प्रोजेक्ट पैकेज योजना।
2. एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना।
3. हथकरघा विकास केन्द्र/उत्कर्ष रंगाई इकाइयों की स्थापना।
4. कार्यशाला-सह-आवास योजना।
5. विपणन विकास सहायता योजना।
6. जनता कपड़ा योजना।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर इन क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार समय-समय पर नई योजनाएं बनाती है तथापि उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर खादी ग्राम उद्योग आयोग ने यह निर्णय लिया है कि तीन वर्षों के भीतर खादी का उत्पादन दुगुना किया जाये। इसके लिए उत्पादन लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की गई है और कार्यान्वयन अभिकरणों को भी क्रेडिट सहायता उपलब्ध करवाई गई है। रिबेट योजना के स्थान पर विपणन विकास सहायता नामक एक नई योजना तैयार की गई है। के० वी० आई० सी० ने 71 जिलों और 125 ब्लाक में विशेष कार्यक्रम आरंभ करने का निर्णय भी लिया है जिनमें खादी उत्पादन भी शामिल है और इसके कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाता है।

NABARD Assistance to M.P. for Incomplete Irrigation Schemes

2725. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the amount of assistance provided by NABARD to Madhya Pradesh in the year 1995-96 and 1996-97 for completion of incomplete irrigation schemes;

(b) the number of irrigation schemes of the State that are to be completed with this amount;

(c) the names of the irrigation schemes of Chattisgarh area of the State for completion of which this amount has been provided together with the amount provided for each scheme; and

(d) the district-wise details of the names, cost and irrigation capacity of those irrigation schemes of the State which have been completed in three years with the assistance received from NABARD?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) and (b) the details of assistance provided under RIDF to the State of Madhya Pradesh during 1995-96 and 1996-97 for completion of incomplete irrigation projects are as under:—

Year	No of Projects	Amount Sanctioned (Rs. in Crores)
1995-96	163	199.83
1996-97 (Till 30.11.96)	57	150.16

(c) Details of the schemes sanctioned in Chattisgarh area of the State are

funished in the enclosed statement-I *(See* below)

(d) Districtwise details of the projects that are reportedly complete are furnished in the enclosed Statement-11

Statement—I

(Rs. in lakh)

S. No.	Name of the Scheme	Amount sanctioned by NABARD		
		1995-96	1996-97	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. District Bilaspur				
1.	Bherwa	48.05	12.78	60.83
2.	Jhonkanala Tank	15.00	5.25	20.25
3.	Bahiyadihi Tank	10.89	—	10.89
4.	Bedikone	12.38	—	12.38
5.	Barkela	26.63	—	26.63
6.	Batali	20.00	3.30	23.30
7.	20 TW	27.62	11.14	38.76
B. District Durg				
8.	Kharkhara LBC	30.00	30.00	60.00
9.	Kharkhara RBC	40.00	100.00	140.00
10.	MAIVL1S	0.60	31.90	32.50
11.	TEMRI LIS	10.50	47.00	57.50
12.	Bhatgaon LIS	45.00	52.00	97.00
C. District Jagdalpur				
13.	Pithapur	8.00	16.00	24.00
14.	Pharsegarh tank	8.00	15.45	23.45
15.	Bodra tank	15.95	—	15.95
16.	Asulkhar tank	25.10	—	25.10
17.	NEO tank	21.76	10.00	31.76
18.	Kokhatola D/S	24.17	0.04	24.21
19.	Lanjore tank	10.00	30.00	40.00
20.	Narayanoa tank	2.50	30.00	32.50
21.	Pali tank	6.00	27.00	33.00
D. District Raigarh				
22.	Saalkhcta tank	14.72	—	14.72
23.	Lowcrsiri tank	23.00	—	23.00
24.	Koldcnga D/S	14.78	—	14.78
25.	Pagharnala D/5	89.85	—	89.85
26.	Khedapani	44.00	20.47	64.47
27.	Mand diversion (Medium Irrigation)	719.48	736.00	1455.48
E. District Raipur				
28.	Nagabahal tank	10.00	—	10.00

(1)	1 (2)	(3)	(4)	(5)
! 29.	Piparchhedi US	15.00	__	15.00
30.	Lilar	16.00	—	16.00
31.	Sirko tank	21.00	20.00	41.00
32.	Bandali Ma! tank	20.00	12.00	32.00
33.	Kapsakuta	44.06	19.94	64.00
34.	Koiba	7.00	8.00	15.00
35.	Bagnai Nalla D/5	30.00	20.00	50.00
36.	Dabpali tank	27.00	—	*27.00
37.	32 TW	10.03	9.97	20.00
38.	Balar (Medium Irrigation)	60.00	—	60.00
F. District Rajnandgaon				
39.	Lamani D/S	6.50	—	6.50
40.	Chirpani (Medium Irrigation)	250.00	255.00	505.00
G. District Sarguja				
41.	Bclgaon	18.00	11.55	29.55
42.	Mohanpur tank	30.00	16.59	46.59
43.	Gagar D/S	80.00	114.03	194.03
44.	Turga Tank	60.00	—	60.00
45.	Padridand tank	60.00	2.25	62.25
46.	Raima	19.12	—	19.22
47.	Chanki	18.00	17.00	35.00
48.	Gunghutta (SHYAM)	926.71	290.50	1226.91
49.	Gej (Medium Irrij Irrogation)	329.57	900.07	1229.64
		3371.97	2884.23	6256.20

Statement-II

S. No.	Name of the District	Name of Scheme	Outlay (Rs. in lakh)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Balaghat	Singhanpuri	40.70
2.	Chindwara	Khapabihar	179.40
3.	Gwalior	Lohari LIS	71.43
4.	Mandour	Dudharkhadi tank	40.00
5.	Raison	Noniabareli LIS	218.93
6.	Ratlam	Khedi tank	23.87
7.	Sagar	Barodia LIS	37.06
S.	Schore	Jailpipli tank	122.35
9.	Shahdot	Kudari tank	58.80
10.	-do-	Bcnibari tank	221.00
V.	-do-	Sidli tank	87.27
12.	Sarguja	Raima	170.00

(1)	(2)	(3)		(4)
13.	Jagdal pur -	Parsegarh	TOTAL:	76.00
14.	do-	Pali tank		84.00
				1430.81

देश में पारसी आबादी

2726. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में पारसियों की आबादी निरन्तर कम हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पारसियों की आबादी, जो इस समय लगभग 76,000 है, के आगामी पच्चीस वर्षों में कम होकर केवल 30,000 रह जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विश्व के 70 प्रतिशत पारसी मुम्बई में रहते हैं;

(घ) इनकी आबादी में कमी आने के क्या कारण है; और

(ङ) क्या सरकार पारसियों की नस्ल की रक्षा के लिये पारसी नेताओं से विचार-विमर्श करेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद फकरूल डार): (क) जी नहीं श्रीमान्। पारसी धर्म के अनुयायियों की संख्या, जोकि 1981 की जनगणना में 71,630 थी। 1991 की जनगणना में बढ़कर 76,382 हो गई। इस प्रकार 1981-1991 के दशक में इनकी संख्या में 4,752 की वृद्धि हुई है।

(ख) चूंकि 1991 की जनगणना के पश्चात कोई जनगणना नहीं हुई है। अतः पारसी/पारसी धर्म के अनुयायियों की इस समय की संख्या उपलब्ध नहीं है। 25 वर्ष बाद उनकी संख्या क्या होगी, इस संबंध में अनुमान लगा पाना संभव नहीं है।

(ग) 1991 की जनगणना के अनुसार बृहत्तर बम्बई नगर निगम क्षेत्र में पारसी/पारसी धर्म के अनुयायियों की संख्या 53,794 थी। विश्व में इस धर्म के अनुयायियों की कुल संख्या में इसके प्रतिशत की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

Change in Indian Post Office Act, 1898

2727. SHRIMATI URMILABEN CHAMANBHAIPATEL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the present Indian Post Office Act, 1898 has become obsolete in view of the change in the present modern day system;

(b) whether Government have set up any Committee to examine the whole issue and suggest amendments to the present statute; and

(c) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VER-MA): (a) The Indian Post Office Act, 1898 has stood the test of time but in view of the changing socio-economic scenario worldwide some of its provisions need to be amended.

(b) A Committee was set up by the Governemnt to review the Indian Post Office Act, 1898.

(c) The main recommendations of the \ct Review Committee are:

(i) Partial relinquishment of the exclusive privilege of the Central Government to carry letters and allowing private courier to carry letters on obtaining licence under certain given terms and conditions;

(ii) Assumption of more liability by the Postal Department for operational failures;

(iii) Incorporation of suitable, enabling provisions for the introduction of new services; and